इकाई 3 समता और न्याय

संरचना

3.0 उद्देश्य

3.1 विषय प्रवेश

3.2 राज्य के आदर्शमूलक सिद्धांत
- 3.2.1 बॅकनन का सिद्धांत
- 3.2.2 कोम का सिद्धांत

3.3 न्याय के सिद्धांत
- 3.3.1 रॉल्स का सिद्धांत
- 3.3.2 नॉज़िक का सिद्धांत

3.4 समता

3.5 व्यवहारात्मक लोक अर्थशास्त्र
- 3.5.1 बाज़ार परिणामों की सीमाएँ
- 3.5.2 परिबद्ध विवेकशीलता एवं अभिव्यक्त अधिमान

3.6 सार-संक्षेप

3.7 शब्दावली

3.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

3.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप इस योग्य होंगे कि :

- किसी अर्थव्यवस्था में समता एवं न्याय स्थापित करने की दिशा में सरकार की चार प्रमुख भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकें;
- दर्शा सकें कि उत्पादन एवं उपभोग क्रियाकलापों में विकृतियाँ दूर करने में 'सरकारी हस्तक्षेप' किस प्रकार अतिमहत्त्वपूर्ण होता है;
- बॅकनन के 'संविदात्मक सिद्धांत' का तर्काधार स्पष्ट कर सकें;
- कोम के 'उदारवादी सामाजिक संविदा' सिद्धांत में दिए गए तर्कों पर प्रकाश डाल सकें;
- रॉल्स के 'न्यास-सिद्धांत' के मुख्य तर्कों को निरूपित कर सकें;
- नॉज़िक के 'वैधानिक अधिकार सिद्धांत' और 'वितरण में न्याय' सिद्धांत का वर्णन कर सकें;
- 'समता' की संकल्पना पर चर्चा कर सकें;
- 'व्यवहारात्मक लोक अर्थशास्त्र' की रूपरेखा चित्रित कर सकें;
- मुक्त बाज़ार के दक्षता दावों की 'सीमाएँ' बता सकें; तथा
- 'परिबद्ध विवेकशीलता' और 'अभिव्यक्त अधिमान' पर टिप्पणी लिख सकें।

3.1 विषय प्रवेश

किसी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था' के लिए, उसे एक क्षेमकारी राज्य मानते हुए 'सामाजिक क्षेम' के अधिकतमीकरण हेतु सरकारी हस्तक्षेप का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता होती है। तथापि, सामाजिक क्षेम के अधिकतमीकरण का अर्थ सामाजिक न्याय होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण, सामाजिक क्षेम के अतिरिक्त 'समता एवं न्याय' का अध्ययन किए जाने की भी प्रासंगिकता होती है। एक आर्थिक दृष्टिकोण से, राज्य के हस्तक्षेप को उसकी विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है; यथा – (i) नियतनकारी, (ii) वितरणात्मक, (iii) स्थैर्यकारी, एवं (iv) नियामक भूमिकाएँ। किसी भी क्षेमकारी राज्य में, सरकार को राजकोषीय दायित्व को सामाजिक क्षेम के अधिकतमीकरण की ओर अग्रसर करने वाला माना जाता है। यह सामाजिक-आर्थिक प्राधार के उत्पादन अथवा प्रावधान यथा, सामाजिक अतिरिक्त पूँजी के सृजन, हेतु सार्वजनिक व्यय के नियतन के माध्यम से हासिल किया जाता है। इसमें निम्नलिखित तीन चरण शामिल होते हैं –

(क) संसाधन संरोध ज्ञात होने पर, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच संसाधनों का दक्ष प्रयोग;

(ख) 'अधिकतम सामाजिक लाभ' के सिद्धांत पर आधारित बजट के इष्टतम आकार का निर्धारण; तथा

(ग) 'सामूहिक चयन' के लिहाज से 'वैयक्तिक अधिमानों' के माध्यम से (उत्पादन अथवा प्रावधान हेतु) विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की वरीयताओं का निर्धारण। किसी भी लोकतंत्र में, जहाँ सत्ताधारी दल सत्ता में बने रहने के लिए जनसाधारण के मतों पर निर्भर करता है, सरकार बजटीय नियतन द्वारा जन-समर्थन हासिल करने का प्रयास करती है। इसका अर्थ है कि सरकार के उपलब्ध एवं संभावित संसाधन उन सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए नियत किए जाएँगे जो अधिकतम जनसंख्या को संतुष्ट करते हुए 'लोक चयन' या 'जनता की पसंद' के अनुरूप हों।

अपनी 'वितरणात्मक भूमिका' में, सरकार 'सामाजिक न्याय' संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभिलक्षित 'समता' संबंधी लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करती है। पुनश्च, अपनी बजटीय नीति के माध्यम से, सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संघर्षरत् रहकर अमीर और गरीब के बीच विषमता को दूर करने का प्रयास करती है। 'स्थैर्यकारी भूमिका' राज्य की अर्थव्यवस्था को अत्यानुकूल बनाने तथा उसके आर्थिक मूल को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है। यह संसाधन जुटाने एवं प्रभावी व्यय प्रबंधन की राजकोषीय नीति के अनुसार चलती है। यह घाटों को स्थिर करके, ऋण को धारणीय बनाकर और अर्थव्यवस्था के लिए अधिकतम संवृद्धि हासिल करके राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन हेतु प्रयास करती है। अंततः, 'नियामक भूमिका' आर्थिक नीतियाँ निरूपित करने व उनके प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन पर अभिलक्षित होती है ताकि राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। यह नियम, विनियम, मापदंड एवं दिशा-निर्देश तैयार कर बेहतर प्रशासन प्रदान करने पर भी अभिलक्षित होती है।

3.2 राज्य के आदर्शमूलक सिद्धांत

'बाज़ार विफलता' के दौर में सरकारी हस्तक्षेप वांछित होता है। सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में, (क) उपभोग में अप्रतिद्वंद्विता, और (ख) सुलभता में गैर-अपवर्ज्यता संबंधी अपने अभिलक्षण के कारण फ्री-राइडर अर्थात् मुफ्तख़ोरी समस्या बढ़ती है। दक्षता के दृष्टिकोण से, 'मुफ्तख़ोरी' की समस्या को काबू किया ही जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि सरकार किसी सार्वजनिक वस्तु के उत्पादन का काम हाथ में लेती है, जबकि उसके प्रयोग से किसी को रोका नहीं जाएगा, तो प्रयोगकर्ताओं द्वारा एक निश्चित

भुगतान होना चाहिए। तद्नुसार, यदि किसी 'वस्तु' को एक 'सार्वजनिक वस्तु' के रूप में मुहैया कराया जाता है तो किसी व्यक्ति को उसके लिए भुगतान न किए जाने पर उसके उपभोग से अपवर्जित भी किया जा सकता है। यदि ऐसी वस्तुओं को निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित किया जाना हो तो सरकार द्वारा लागत-साझेदारी होनी चाहिए। अन्यथा, निजी क्षेत्र के पास इस प्रकार की वस्तुएँ उत्पादित करने हेतु आगे आने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। सामाजिक क्षेम के दृष्टिकोण से, सरकार को ऐसी सार्वजनिक वस्तुएँ स्वयं उत्पादित कर अथवा लागत साझेदारी जैसे कुछ सार्वजनिक व्यय उपगत कर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अतएव, जनोपयोगी सेवाओं के मामले में, 'सीमांत लागत (MC) कीमत निर्धारण' नीति को अपनाए जाने से निजी फर्मों को हानि उठानी पड़ती है। केवल उनका 'औसत लागत' (AC) पर कीमत निर्धारण करके, और 'AC – MC' के अंतर की प्रतिपूर्ति करके, ही सरकार निजी क्षेत्र से सार्वजनिक अथवा व्यापक उपभोग हेतु ऐसी जन-सेवाओं के उत्पादन में शामिल होने की अपेक्षा कर सकती है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी कुछ सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के मामले में, यदि सरकारी हस्तक्षेप न हो तो गंभीर अल्पभोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जबकि यह सत्य है कि एक शिक्षित व्यक्ति अत्यधिक निजी सुविधा अथवा हितलाभ प्राप्त करता है, शिक्षित व्यक्तियों से समाज को विशाल सकारात्मक अधिप्लव अर्थात् छलकाव भी प्राप्त होता है। परंतु लोग संभवतः अल्पभोग में परिणत होने वाले अपने सामाजिक-आर्थिक कारणों की वजह से अपनी शिक्षा जारी रखने के इच्छुक न हों। सरकार को शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने के साथ-साथ नाम लिखवाने व दीर्घावधि लाभ लेने हेतु अन्य प्रोत्साहन प्रस्तुत करने के लिए भी सार्वजनिक व्यय उपगत कर ऐसी वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहित करना पड़ता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी विशेष गुण वस्तुओं, अर्थात्, हितकर वस्तुओं में निजी एवं सार्वजनिक दोनों वस्तुओं के अभिलक्षणों का सम्मिश्रण देखा जा सकता है। इस प्रकार, सरकार की भूमिका में कुछ वस्तुओं के अति-उत्पादन को घटाना भी शामिल है, जिनमें समाज पर नकारात्मक अधिप्लव प्रभाव प्रवृत्ति होती है (उदाहरणार्थ, पर्यावरणीय एवं सामाजिक लागत की दृष्टि से), और साथ ही, विशेष गुण-वस्तुओं के अल्पभोग की ओर भी। अवगुण-वस्तुओं (जैसे, सिगरेट) के लिए, सरकार उनके उत्पादन अथवा उपभोग को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाती है अथवा कर वसूलती है।

3.2.1 बॅकनन का सिद्धांत

बॅकनन यह नहीं मानते कि राजनीतिक प्रक्रिया महज आय का वितरण करने के लिए काम करती है क्योंकि इसमें विभिन्न दबाव समूह शामिल होते हैं, जो कि अन्य लोगों को हानि पहुँचाकर अपनी निजी आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास करते है। किसी वास्तविक वांछित दशा का अनुभव करने के लिए, महज आय का विवरण ही काफी नहीं होता, समाज में आय का पुनर्वितरण होना चाहिए। बॅकनन आय-भिन्नताओं को स्पष्ट करने के लिए चार महत्त्वपूर्ण कारकों को स्पष्ट रूप से देखते हैं – विकल्प, भाग्य, प्रयास एवं जन्म। चौथा कारक 'जन्म' लोगों की उन अक्षयनिधियों में अंतर बतलाता है जो उनके नियंत्रण से बाहर होती हैं। असमान आय-वितरण के रूप में अक्षयनिधियों के वितरण में पक्षपात को ध्यान में रखते हुए, बॅकनन राज्य की भूमिका को न्यायसंगत ठहराने के लिए तीन अलग-अलग संस्थाओं के गठन का विधान करते हैं। ये संस्थाएँ हैं – (i) अंतर-पीढ़ी वित्तीय अंतरणों का कराधान; (ii) सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित शिक्षा-व्यवस्था; तथा (iii) रोज़गार के अवसरों में भेदभाव को कम करने अथवा उसका परिहार करने हेतु नियम-संहिता।

आरंभ (यथा, जन्म के तुरंत बाद) से ही बच्चे को अपनी अक्षयनिधियों की असमानता पर टिकी पारिवारिक सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में अंतर पर आधारित समाज में पक्षपात का सामना करना पड़ता है। इस प्रसंग में, किसी परिवार में पूर्व पीढ़ी की संचित धन-सम्पत्ति महत्त्वपूर्ण होती है। ऐसा इसलिए है कि उत्तराधिकार के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी

अमीर हो जाती है जो कि वर्तमान में उसकी अर्जित आय की वजह से नहीं होता। अतएव, समता अर्थात् निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, बर्कॅनन वित्तीय अंतरणों अंतर्पीढ़ी का कराधान विहित करते हैं। मानव विकास के साथ-साथ मानव संसाधन विकास भी ज्ञान एवं कौशल विकसित कर एक शालीन जीविका में योगदान देता है। मानव विकास में आते हैं – साक्षरता, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं समाज में (व्यक्तियों के लिए न्यूनतम स्तर पर वांछित) जीवन-स्तर। मानव संसाधन विकास समाज में पक्षपात मिटाने से संबंध रखता है ताकि किसी व्यक्ति के सापेक्ष लाभ में (ज्ञान एवं कौशल-निर्माण के लिहाज से) वृद्धि की जा सके। यह लक्ष्य उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास में अधिक सार्वजनिक निवेश से हासिल किया जा सकता है। उच्च-शिक्षा प्राप्ति के माध्यम से बेहतर अर्जन को सरल बनाकर मानव क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित शिक्षा-प्रणालियाँ इस प्रकार अभिकल्पिक की जाएँ कि निर्धन वर्ग से आने वाले छात्रों को अवश्य ही अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इसके अंतर्गत, समाज में समता हासिल करने की दिशा में जाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप निर्णायक रूप से वांछित होता है।

बॅकनन योग्यता के आधार पर सभी के लिए रोज़गार के अवसरों में समानता के पक्षधर हैं। तथापि, सामाजिक रूप से अलाभांवित वर्ग के लिए, वह राज्य से सहायता का विधान करते हैं ताकि उस वर्ग के लोग उस रोज़गार-बाज़ार में प्रतिस्पर्धा हेतु स्वयं को समर्थ बना सकें जहाँ किसी भी पूर्वाग्रह अथवा पक्षपात के बिना रोज़गार प्राप्त करने हेतु अवसर में समानता हो। जोखिमों से बचने के लिए, बॅकनन एक संस्था स्वरूप बीमा के पक्षधर हैं। यह विपत्तिकाल में क्षतिपूर्ति द्वारा राहत दिलाने में मदद करेगा, बशर्ते पॉलिसी पहले ही खरीद ली गई हो और उसके लिए देय किश्तों का भुगतान कर दिया गया हो। अतएव, एक संस्था स्वरूप बीमा अनिश्चित विपत्तियों के परिणामस्वरूप निर्धनता की ओर धकेले जाने से बचाते हुए समाज में समता स्थापित करने में मदद करता है। उपर्युक्त सभी पहलुओं में, बॅकनन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादकर्ता स्वरूप और हस्तक्षेप एवं विभिन्न निजी पक्षों के साथ संविदा के माध्यम से उनके प्रावधान हेतु सहायक स्वरूप राज्य की प्रत्यक्ष भूमिका को न्यायसंगत ठहराते हैं।

3.2.2 कोम का सिद्धांत

कोम व्यक्ति की स्वायत्तता के मूल विचार से अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं और अपने परिश्रम के फल पर व्यक्ति के नैतिक अधिकार की स्थापना करते हैं। इस स्वायत्तता में अपना अधिकार त्यागना या उसका आदान-प्रदान भी सम्मिलित है। कोई अधिकार-संहिता तभी वैध कहलाती है यदि वह किसी अन्य वैध अधिकार-संहिता के रूपांतरण से उद्भूत होती है (जहाँ रूपांतरण स्वयं किसी वैध प्रक्रिया के तहत हुआ हो)। वैधता या तो स्वैच्छिक सहमतियों (संविदाओं) से प्राप्त होती है या फिर सरकारी नियमों का पालन किए जाने की आवश्यकता होने से, वह पण्य क्षेत्र में अनायास ही पैदा नहीं हो जाती। परवर्ती अनेक कारणों से होता है, जैसे जानकारी का अभाव, सार्वजनिक रूप से प्रदत्त वस्तुओं की स्थिति में मुफ्तख़ोरी की समस्या पर नियंत्रण में कठिनाई, बाह्यताएँ तथा यह तथ्य कि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के साथ औपचारिक समझौता नहीं कर सकता जो उस समय मौजूद ही न हों। मूलतः, यह सभी कारक आदान-प्रदान की लागतों की विद्यमानता से जुड़े हैं। इससे राजनीतिक प्रक्रिया की भूमिका प्रासंगिक हो जाती है। दरअसल, यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जो उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करती है जो कोई भी प्रत्यक्ष निर्बंध लेन-देन हासिल नहीं कर सकता। 'उदारवादी सामाजिक संविदा' (कोम द्वारा प्रयुक्त) का अर्थ है – वैयक्तिक संविदाओं की शृंखला और उनमें अंतर्निहित सिद्धांत। कोम किसी 'उदारवादी सामाजिक संविदा' को इन शब्दों में परिभाषित करते हैं – एक 'संभव, स्वीकृत, निर्विवाद, उपलक्षित एवं वैध समझौता'। कोमा का सिद्धांत कुछ नई गहन जानकारियाँ देते हुए समानता, दक्षता और स्वतंत्रता के बीच अंतर्जात तनाव का ध्यान रखता है। कोम किसी भी 'स्वातंत्र्यवादी, अधिकार-आधारित प्राधार' में आय के पुनर्वितरण में सामाजिक एवं सांस्थानिक हस्तक्षेपों को सही

ठहराते हैं। कोम ने विकालांगजन अथवा निम्न-आय क्षमता वाले लोगों के लिए हस्तांतरण की एक व्यवस्था स्वरूप 'आधारभूत बीमा' का सिद्धांत सुझाया है। उन संविदाओं के क्रियान्वयन एवं कार्य-सिद्धि के लिए सरकारी हस्तक्षेप वांछित होती हैं, जो कि लेन-देन लागतों के न होने पर सहज ही दृष्टिगत होता है। दूसरे शब्दों में, अपूर्ण जानकारी एवं मँहगे लेन-देनों की दुनिया में सामाजिक संविदाओं की कार्य-सिद्धि हेतु एक सहायक स्वरूप राज्य की भूमिका न्यायसंगत है।

बोध प्रश्न 1 (दिये गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में दें।)

1) कुछ ऐसे प्रकार की सार्वजनिक वस्तुओं, जिनका समाज-हित में भारी परिमाण में लोगों द्वारा उपभोग किया जाना आवश्यक हो, विनियमित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप क्यों ज़रूरी होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) बॅकनन सांस्थानिक समझौतों के माध्यम से समता सरोकारों को पूरा किए जाने का सुझाव किस प्रकार देते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3) 'मानव विकास' और 'मानव संसाधन विकास' के बीच अंतर स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

4) कोम ने 'उदारवादी सामाजिक संविदा' पदबंध का क्या अर्थ व्यक्त किया है?

.....

.....

.....

.....

.....

3.3 न्याय के सिद्धांत

व्यावहारिक दृष्टि से, आय-वितरण के संदर्भ में समता की व्याख्या न्याय के रूप में की जाती है। तथापि, यह आर्थिक न्याय का कोई उपयुक्त मापदंड नहीं है क्योंकि आय-भिन्नताओं को अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं से अलग नहीं किया जा सकता (कुशलताओं को उन्नत करने हेतु आवश्यकताओं एवं प्रयास के लिहाज से)। व्यक्तिगत पसंद एवं उपयोगिता बाज़ारों के आर्थिक सिद्धांत में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं (जहाँ बाज़ार ही आर्थिक विश्लेषण का आधार होता है)। यह भी कहा जाता है कि केवल उपयोगिता पर अर्थशास्त्रिक आग्रह भी न्याय की व्याख्या के लिए अपर्याप्त होता है।

3.3.1 रॉल्स का सिद्धांत

जॉन रॉल्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था रखते हैं। अपनी पुस्तक *(ए थ्योरी ऑफ जस्टिस)* के मूल में, रॉल्स न्याय की एक निष्पक्ष व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों की अच्छाई में निष्ठा दर्शाते हैं। वह एक ऐसी काल्पनिक दशा पर विचार करते हैं जिसमें जनसमूह एक न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था विकसित करने को एकत्र होता है। लिंग, प्रजाति, धन-संपत्ति एवं गुणों के आधार पर फैसले किसी भी सामाजिक व्यवस्था के भीतर व्यक्तियों के स्थापन की अनुचित रूप से तरफ़दारी कर सकते हैं अथवा उसे विकृत कर सकते हैं। रॉल्स के अनुसार, जीवन अवसरों का खेल है, जिसमें प्रकृति सामाजिक व्यवस्था में विषमता की ओर रूझान को दर्शाती है। चूँकि हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते, समाज में पक्षपात के स्वाभाविक वितरण का प्रभाव कम करने के लिए कोई सामाजिक व्यवस्था (जिसमें सामाजिक संस्थाएँ विद्यमान हों) होनी ही चाहिए। रॉल्स का मानना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म-जात भाग्य अथवा सामाजिक परिस्थितियों के कारण लाभान्वित अथवा अलाभान्वित नहीं होना चाहिए। वह एक 'अज्ञान यवनिका' का सुझाव देते हैं ताकि उक्त जनसमूह बिना पूर्वाग्रह किसी भी सामाजिक संविदा में प्रवेश कर पाने में सफल हो सके।

रॉल्स का दावा है कि किसी भी समाज में हर व्यक्ति 'प्राथमिक वस्तुओं' की इच्छा रखता है। ये प्राथमिक वस्तुएँ सार्वजनिक वस्तुओं की भाँति होती हैं जो कि हर व्यक्ति द्वारा उपभोग की जानी चाहिए (उदाहरणार्थ, अधिकार, स्वाभाविक गुण, आय एवं धन-सम्पत्ति)। रॉल्स दो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं – (i) समान मूल स्वातन्त्र्य सिद्धांत, और (ii) सामाजिक एवं आर्थिक विषमता सिद्धांत। पूर्ववर्ती के अनुसार, हर व्यक्ति के पास समान मूल स्वातन्त्र्यों की एक पूर्णतः पर्याप्त योजना पर एक समान अधिकार है। परवर्ती को हासिल करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए, रॉल्स का सुझाव है कि समाजों को दो सिद्धांतों के आधार पर न्यायपूर्णता हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, यथा – (क) अवसर की समानता सिद्धांत, तथा (ख) अंतर सिद्धांत। प्रथम में अपेक्षित होता है कि अवसर की निष्पक्ष समानता की शर्तों के तहत नौकरियाँ व पद सभी के लिए खोलकर विषमताएँ या पक्षपात को दूर किया जाए। अंतर सिद्धांत में यह अपेक्षित होता है कि जब विषमताएँ किसी सामाजिक आवश्यकता की वजह से विद्यमान हों तो बनाए गए नियम समाज के 'अल्पतम लाभांवित' सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए हों।

उक्त पुस्तक (*ए थ्योरी ऑफ जस्टिस*) सरकार द्वारा स्कूलों के निधिकरण पर जोर देती है। रॉल्स संस्थाओं और लोकतंत्र को अमूर्त रूप में लेते हैं। वह सभी को उनकी उच्चतम अंतःशक्ति तक शिक्षित किए जाने के लिए संसाधन जुटाने को महत्त्व देते हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी समाज में शिक्षा की गुणवत्ता उसके लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए नागरिक शिक्षा अत्यावश्यक है। कोई भी न्याय संगत संस्था हर व्यक्ति के महत्त्व और योगदान को पहचानती है। अतः, स्कूली शिक्षा प्राधार एवं नीति को लोकतांत्रिक ढंग से सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता होती है। निजी सम्पत्ति, भू-स्वामित्व अधिकार समेत, उन अधिकारों में एक है जिनकी रॉल्स अनुमति देते हैं। भू-स्वामित्व अधिकार में

अनधिकार प्रवेश करने वालों को वर्जित करने का अधिकार शामिल है। यह, बदले में, स्वतंत्र आवागमन के अधिकार से विरोध दर्शाता है। अतः, 'अधिकारों में भिन्नताओं की सापेक्ष वरीयताओं' को सुव्यवस्थित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुमति देने हेतु आवश्यक शर्तें लागू करके उसी स्थान पर जहाँ लोग रह रहे हैं, मुद्दों को सुलझा दिया जाना चाहिए। रॉल्स का वितरणात्मक निकष, समाज में विपन्नतम व्यक्ति के क्षेम को अधिकतम किए जाने पर अभिलक्षित है। रॉल्स के अनुसार, यही वह न्यायसंगत और नीति-संगत विकल्प भी होगा जिसे सभी मूल स्थिति में चुनेंगे। सामूहिक इच्छा पर आधारित, पुनर्वितरणात्मक क्रियाकलाप, इसी परिणाम की ओर दिशा-निर्देशित होना चाहिए।

3.3.2 नॉज़िक का सिद्धांत

नॉजिक़ (एक स्वातन्त्र्यवादी) का तर्क है कि 'न्यायसंगत परिणाम' वे होते हैं जो वस्तुओं के न्यायसंगत अधिग्रहण एवं विनिमय की शर्तें पूरी करते हुए, व्यक्तियों की विभिन्न कार्रवाइयों से प्राप्त किए जाते हैं। न्याय के लिए किसी विशिष्ट वितरणात्मक प्रतिमान की आवश्यकता नहीं होती ('अंतर सिद्धांत' से भिन्न, जहाँ वस्तुओं के वितरण का एक ऐसा प्रतिमान अपेक्षित होता है जो अल्पतम सम्पन्न लोगों को लाभ पहुँचाएं)। नॉज़िक 'अधिकारिता सिद्धांत' प्रस्तुत करते हैं जिसमें लोगों की वर्तमान उपलब्धियाँ न्यायसंगत रूप से अर्जित होती हैं, और केवल अंतरण सिद्धांत यह तय करता है कि उत्तरवर्ती वितरण न्यायसंगत हैं या नहीं। किसी व्यक्ति की अधिकारिता पूर्व स्वामियों की अधिकारिता की वैधता पर निर्भर होती है, और उनकी अधिकारिता उनके पूर्व स्वामियों की अधिकारिता की वैधता पर, इत्यादि। उनका कहना है कि राजनीतिक दार्शनिक सदा यह मान लेने को प्रवृत्त रहे हैं कि – (i) न्याय समानता की दिशा में धन-सम्पत्ति के व्यापक पुनर्वितरण की माँग करता है, और यह भी कि (i) राज्य का यह एक वैधानिक प्रकार्य है कि उक्त पुनर्वितरण पुरोगामी कराधान जैसे माध्यमों से लाया जाए। नॉज़िक का तर्क है कि इन अवधारणाओं को मान लिए जाने की बजाय इन पर बहस किए जाने की आवश्यकता है।

'*ऐनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया*' अर्थात् 'अराजकता, राज्य और राम-राज्य' विषयक नॉज़िक के शोध-प्रबंध में तीन भाग हैं। प्रथम भाग यह दर्शाने का प्रयास करता है है कि कोई भी 'अल्प राज्य' (अपने नागरिकों की बल और छल से रक्षा करने तक सीमित) किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किए बिना वैधतापूर्वक उदय हो सकता है। दूसरे भाग में, नॉज़िक का दृढ़ कथन है कि 'अल्पराज्य' सर्वाधिक व्यापक राज्य भी होता है जो कि न्यायसंगत ठहराया जा सकता है और यह भी कि इससे ज़रा भी अधिक व्यापक राज्य लोगों के अधिकारों का हनन करता है। तीसरे भाग में, वह निश्चयपूर्वक कहते हैं कि 'अल्प राज्य' ही वह आदर्श राज्य है जिसके लिए संघर्ष किया जाना यथेष्ट है। नॉज़िक के अनुसार, लोग अपनी उत्तराधिकार में प्राप्त परिसम्पत्तियों के अधिकारी हैं, भले ही, वे उसके पात्र हों या न हों। जहाँ तक जन्मजात योग्यताओं या क्षमताओं का सवाल है, लोग स्वयं इन शक्तियों से सम्पन्न होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं करते। किसी भी चित्रकार को स्वयं द्वारा बनाई गई किसी पेंटिंग को रखने का अधिकार है, बेशक उसकी कलात्मक प्रतिभा उसे विरासत में प्राप्त हुई हो और उसकी पात्रता हासिल करने के लिए उसने कुछ न किया हो। यदि लोगों की वर्तमान उपलब्धियाँ न्यायसंगत रूप से अर्जित हों तो 'अंतरण सिद्धांत' मात्र ही यह फैसला करता है कि अनुवर्ती वितरण न्यायसंगत हैं अथवा नहीं। नॉज़िक का तर्क है कि किसी का भी यह दायित्व नहीं है कि वह स्वयं से विपन्नतर लोगों की मदद करें। बहरहाल, अमीर की ओर से गरीब को दिए जाने वाले स्वैच्छिक दान के विरुद्ध उसके पास कुछ नहीं है।

नॉज़िक का (*'थ्योरी ऑफ जस्टिस इन डिस्ट्रीब्यूशन'*) 'वितरण में न्याय का सिद्धांत' राज्य के शून्य पुनर्वितरणीय क्रियाकलाप की वकालत करता है। नॉज़िक की किसी व्यक्ति संबंधी संकल्पना रॉल्स की किसी व्यक्ति संबंधी संकल्पना से भिन्न है, जो यह

कहते हैं कि लोगों की योग्यताएँ उनकी अपनी सम्पत्ति नहीं होती। नॉज़िक का तर्क है कि यदि मैं स्वयं का स्वामी हूँ तो मैं अपनी योग्यताओं का भी स्वामी हूँ और यदि मैं स्वयं की योग्यताओं का स्वामी हूँ तो मैं अपने स्वामित्व वाली योग्यताओं के उत्पादों का भी स्वामी हूँ। 'स्वयं पर स्वामित्व' संबंधी अवधारणा इस बात में एक आत्मवाचक महत्त्व दर्शाती है कि एक स्वयं पर स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति के रूप में मेरे पास अपनी सम्पत्ति पर निर्बाध अधिकार हैं। पुनर्वितरणात्मक कराधान, प्रतिभा सम्पन्न वर्ग से लेकर अलाभान्वित वर्ग तक, स्वयं पर स्वामित्व का दो तरीकों से उल्लंघन करता है। प्रथम, वे दशाएँ जिनके तहत मेरी योग्यताओं (और उनके उत्पादों) का प्रयोग संसाधनों के एक न्यायसंगत नियतन की ओर अग्रसर करेगा, न्याय के तीन सिद्धांतों द्वारा निर्दिष्ट होता है, यथा – प्रारंभिक अधिग्रहण का सिद्धांत, अंतरण का सिद्धांत और समंजन का सिद्धांत। तद्नुसार, यदि हम न्याय के रॉल्सवादी सिद्धांत पर अडिग रहें (कि प्रतिभा संपन्न लोग अपनी योग्यताओं से तभी लाभान्वित हो सकते हैं जब वह अलाभान्वित वर्ग को भी लाभ पहुँचता हो, यथा– अंतर सिद्धांत का पालन करके) तो नॉज़िक के अनुसार, यह लोगों के साथ एकसमान व्यवहार किए जाने की विफलता दर्शाएगा, क्योंकि अलाभान्वित वर्ग को अन्य लोगों पर आंशिक स्वामित्व प्रदान कर देगा। दूसरे, 'स्वयं पर स्वामित्व' एवं स्वामित्व अधिकार किसी व्यक्ति को इस बात में सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं कि वह भलाई के प्रति अपनी धारणा कायम रख सके और स्वयं-निर्धारित जीवन की राह पर चल सके। उसका स्वामित्व छीनकर हम उसके विकल्प घटा रहे हैं और उसकी संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं। इससे उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है और इसी कारण यह नैतिक रूप से अन्यायपूर्ण हैं।

बोध प्रश्न 2 (दिये गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में दें।)

1) 'प्राथमिक वस्तुओं' को रॉल्स किस प्रकार परिभाषित करते हैं? समाज में 'सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएँ' घटाने के लिए उनका क्या सुझाव है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) वे पहलू बताइए जिन पर रॉल्स समाज में निष्पक्षता और समता संबंधी मुद्दों को निबटाए जाने के लिए विशेष ज़ोर देते हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

3) नॉज़िक के 'अधिकारिता सिद्धांत' के पीछे मुख्य तर्क क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

3.4 समता

समता का अर्थ है – 'न्याय और निष्पक्षता'। ये दो आयाम कराधान विषयक लगभग सभी लेख, पुस्तकों आदि में प्रायः देखे जाते हैं। 'क्षैतिज समता सिद्धांत' के अनुसार, एक समान परिस्थितियों में लोगों के साथ एकसमान ही व्यवहार किया जाना चाहिए। परंतु 'अनुलंब समता सिद्धांत' के अनुसार, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में अवस्थित लोगों के साथ भिन्न-भिन्न रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। असदृश अर्थात् भिन्न परिस्थितियों को पहचानना सरल होता है और सदृश्य अर्थात् एकसमान परिस्थितियों को सिद्ध कर पाना कठिन। उदाहरण के लिए, कोई दो व्यक्ति एकसमान आय अर्जित करने वाले हो सकते हैं परंतु उनके पास भिन्न-भिन्न अक्षयनिधियाँ हो सकती हैं अथवा उनके समक्ष भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यय दायित्व हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, समता का सिद्धांत लागू कर समानता मापने का कोई भी निकष तय करना (यथा, न्याय और निष्पक्षता संबंधी सर्वसम मानदंड अपनाना) कठिन होता है।

तर्कसंगत रूप से, एक ऐसी कर प्रणाली, जो भिन्न-भिन्न आय-वर्ग के लोगों पर भिन्न-भिन्न कर भार निर्दिष्ट करती हो, को एक समान आय वाले लोगों पर एक समान कर भी निर्दिष्ट करना चाहिए। इस दृष्टि से, कराधान में समकक्षों के साथ एक साथ व्यवहार अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। बल्कि यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक साधन मात्र है कि कर भार इस प्रकार वितरित हों कि वह अनुलंबता से साम्यिक अर्थात् न्यायोचित हो। कराधान में 'हितलाभ' के सिद्धांतानुसार, कर भार उन हितलाभों के अनुसार निर्दिष्टि किया जाए जो करदाता सरकार द्वारा आपूर्तित वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त करते हों। यदि हम यह मानकर चलें कि सरकारी खर्च से करदाता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले हितलाभ उसके आय-स्तरों के अनुसार होते हैं तो यह इस बात का उदाहरण हो सकता है कि एकसमान आय वाले करदाता कर की एकसमान ही राशि चुकाएँगे। परंतु, चूँकि अनुलंब समता में अपेक्षित है कि भिन्न-भिन्न आय-वर्ग के करदाता भिन्न-भिन्न कर राशि चुकाएँ, इस बात पर निर्भर करते हुए कि हितलाभ आय के अनुसार भिन्नता दर्शाते हैं, तो यहाँ यह अपेक्षित होगा कि कर भार का हितलाभ प्रतिगामी रूप से अथवा समानुपातिक रूप से अथवा पुरोगामी रूप से वितरित किया जाए (इस बात पर निर्भर करते हुए कि सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं से हितलाभ समानुपातिक रूप से कम हुए अथवा समान अनुपात में हुए अथवा समानुपातिक रूप से अधिक होते हैं)। 'देय-क्षमता' सिद्धांत के तहत, एकसमान आय-वर्ग के लोगों को एक समान देय-क्षमता रखने वालों के रूप में ही जाना जाता है और इस प्रकार उन्हें करों में एकसमान राशि ही चुकानी चाहिए।

क्षैतिज समता सिद्धांत अपनाए जाते समय अनेक संकल्पनात्मक मुद्दे ध्यान में रखे जाने चाहिए। एकसमान के रूप में समूहकृत किए जाने वाले करदाताओं के लिए कौन-सा मापदंड अपनाया जाता है, यह उक्त संदर्भ में महत्त्वपूर्ण होगा। सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त मानदंड है – भली-भाँति परिमित वार्षिक आय। करारोपित आय अथवा उपभोग क्षैतिज समता से संगत है अथवा नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा कि आय की कौन-सी परिभाषा आप प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, दो करदाताओं A और B के मामले में विचार करें, जहाँ दोनों दो समयावधियों तक रहेंगे। पहली अवधि में, दोनों करदाता कार्यशील हैं और रु. 100,000 अर्जित करते हैं तथा दूसरी अवधि में, वे सेवानिवृत्ति कर लेते हैं। माना कि करदाता-A रु. 40,000 बचाता है और यह राशि 10 प्रतिशत के ब्याज पर निवेश कर देता है, जबकि करदाता-B केवल रु. 20,000 बचाता है और वह भी 10 प्रतिशत के ब्याज पर निवेश कर देता है। यदि वार्षिक आय को हम मानक के रूप में लें तो A और B को पहली अवधि में एकसमान आय (रु. 100,000) धारक के रूप में देखा जाएगा, परंतु, दूसरी अवधि में, A की आय B की आय की तुलना में अधिक होगी (B के मात्र रु 2000 की तुलना में रु. 4000)। क्षैतिज एवं अनुलंब समता का सिद्धांत अपनाने पर अपेक्षित होगा कि A और B पहली अवधि में एकसमान कर चुकाएँ और

दूसरी अवधि में A व्यक्ति B की अपेक्षा अधिक कर चुकाए। तद्नुसार, इस उदाहरण में, कर-योग्य आय क्षैतिज समता के मानक को पूरा करती है, कर-योग्य उपभोग ऐसा नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि पहली अवधि में, A अपेक्षाकृत कम कर भुगतान करेगा, उनकी आय भले ही एकसमान है (क्योंकि इस अवधि में A कम उपभोग करता है)। यदि जीवनकाल आय को मापदंड मान लिया जाए तो उपभोग पर आधारित करारोपण क्षैतिज समता हासिल कर लेता है, जबकि कर-योग्य आय उन लोगों पर कहीं अधिक भारी बोझ डालती है जिनकी जीवनकाल आय दूसरों के बराबर ही होती है परंतु वे बचत के माध्यम से अपने जीवनकालिक उपभोग का अधिक हिस्सा बचत के माध्यम से आगामी वर्षों तक अंतरित कर देते हैं। क्षैतिक समता का मानक उस समय सीमित अनुप्रयोज्यता दर्शाता है जब बाह्य लागतों की विद्यमानता में कर वसूले जाते हैं। उदाहरण के लिए, स्मोकर्स अर्थात् धूमनशेड़ियों और गैर-धूमनशेड़ियों को भिन्न-भिन्न कर भार वहन करना होगा, बेशक उनकी आय-राशियाँ एक समान हों, क्योंकि तंबाकू पर कर धूमनशेड़ियों को धूम्रपान की बाह्य लागतें वहन करने को बाध्य करने पर अभिप्रेत होते हैं।

3.5 व्यवहारात्मक लोक अर्थशास्त्र

सार्वजनिक नीतियों के विश्लेषण एवं अभिकल्पन में, व्यवहारात्मक लोक अर्थशास्त्र' (BPE) द्वारा मनोविज्ञान और तंत्रिका-विज्ञान से ली गई अवधारणाओं का समावेश देखा जाता है। लोक अर्थशास्त्र विश्लेषण मानवीय निर्णयन संबंधी प्रतिमानों के निरूपण की ओर अग्रसर करता है। इसके दो घटक होते हैं– एक 'चयन' का वर्णन करने वाला और दूसरा 'क्षेम' का वर्णन करने वाला। प्रथम घटक का प्रयोग कर, कीमतों एवं आवंटनों के लिहाज से व्यक्तियों पर नीतिगत सुधारों के प्रभाव का पूर्वानुमान किया जाता है। दूसरे घटक का प्रयोग कर, यह निर्धारित किया जाता है कि उक्त परिवर्तन लाभदायक है अथवा हानिकर (यथा, उपयोगिता बढ़ाते हैं अथवा घटाते हैं)।

नवशास्त्रीय (नवक्लासिकी) दृष्टिकोण यह मानकर चलता है कि व्यक्ति विशेष के चयनों की व्याख्या साध्यता एवं सूचनापरक संरोधों के अधीन किसी सुस्पष्ट एवं स्थिर उपयोगिता फलन के अधिकतमीकरण द्वारा की जा सकती है। यह इस आधार वाक्य को लेकर चलता है कि नीतियों का मूल्यांकन किए जाते समय, सरकार को व्यक्ति के अधिमानी विकल्पों पर संबद्ध परिस्थितियों में प्रेक्षित निर्णयों से वाग्विस्तार करते हुए, उसके परोक्षी के रूप में काम करना चाहिए। यह आधार-वाक्य क्षेम के परिमापन हेतु उपयोगिता फलन के प्रयोग को उचित ठहराता है। प्रभावतः, यह दृष्टिकोण सकारात्मक और गुणात्मक दोनों विश्लेषणों के लिए एक ही प्रतिमान प्रयोग करता है। नवशास्त्रीय दृष्टांत में, सरकारी नीति व्यवहार एवं क्षेम को तभी प्रभावित कर सकती है जब वह निर्णयकर्ता की जानकारी अथवा बजट संरोध को बदल डाले। उदाहरण के लिए, टीकाकरण अभियान किसी बीमारी के जोखिमों और रक्षात्मक कार्रवाई के लाभों से संबंधित जानकारी प्रदान करके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि सिगरेट पर कर धूम्रपान की लागत को बढ़ाकर विकल्पों में फेर-बदल कर सकता है।

नवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से, निजी बाज़ारों में सरकारी हस्तक्षेप संपदा अधिकार लागू करने, बाज़ार विफलताओं से निबटने व संसाधनों को पुनर्वितरित कर पक्षपात दूर करने हेतु न्यायसंगत है। बाज़ार विफलताओं द्वारा प्रेरित हस्तक्षेपों के मानक उदाहरणों में बाह्यताएँ दूर करने हेतु करों एवं अर्थ-साहाय्यों का प्रयोग, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान तथा निजी जोखिम साझेदारी के निष्प्रभावी रहने पर सामाजिक बीमा की पुनर्स्थापना शामिल हैं। इष्टतम आय कराधान एवं सुधारात्मक पर्यावरण नीति संबंधी सिद्धांतों के रूप में नवशास्त्रीय लोक अर्थशास्त्र की उपलब्धियाँ विचारणीय हैं। बहरहाल, एक वर्धमान सरोकार यह है कि यह दृष्टांत उन महत्त्वपूर्ण लोक-नीति चुनौतियों का यथेष्ट रूप से सामना नहीं करता। उदाहरण के लिए, धन-संपत्ति के दुरुपयोग अथवा सेवानिवृत्ति हेतु 'अत्यल्प' बचाने वाले लोगों के अल्पदृष्टिक विकल्प जैसे आत्मघाती व्यवहारों के लिए

क्या कहा जाए? चूँकि नवशास्त्रीय क्षेम निकष स्वैच्छिक उपभोक्ता विकल्पों (उपभोक्ताओं का उपलब्ध सूचना के शर्ताधीन) का सम्मान करता है, वह 'निकृष्ट' विकल्पों को सुधार कर (सिवाय सूचना के प्रावधान के माध्यम से) क्षेम-वृद्धि की संभावना को नियम विरुद्ध घोषित करता है।

3.5.1 बाज़ार परिणामों की सीमाएँ

अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है जो इस बात की जाँच करता है कि लोग किस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग करते हैं। इसका अर्थ है कि अधिकांश अर्थशास्त्र मानव व्यवहार पर निर्भर है, जो कि किंचित् अयुक्त और अपूर्वानुमेय हो सकता है। इसी वजह से, यह ऐसी कुछ विशिष्ट अंतर्जात सीमाओं वाला विज्ञान है जो बाज़ार के निष्पादन संबंधी सटीक पूर्वानुमान को अंतर्निहित रूप से यह ज्ञात करने से रोकती हैं कि नीतियाँ किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों एवं अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेंगी। इसके अलावा, अर्थशास्त्र का क्षेत्र गैर-पुनरावृत्यता की समस्या से ग्रस्त रहा है। समरूप परिस्थितियों के तहत अतीत में बाज़ारों का व्यवहार कैसा रहा– इस बात के आधार पर किसी परिणाम का पूर्वानुमान करने हेतु बाज़ार दशाओं को ठीक-ठीक फिर से उत्पन्न करना असंभव ही है। अनुल्लंघनीय विज्ञानशास्त्रों (जहाँ अनुसंधानकर्ता कुछ चरों को वियुक्त करने अथवा कारण एवं प्रभाव के बीच प्रत्यक्ष संबंध को सोच-समझ पाने में सक्षम होते हैं) से भिन्न, अर्थशास्त्र में किसी भी, अर्थात्, परिवर्ती को पूर्णतः वियुक्त करने का कोई तरीका नहीं है। बाज़ार बेहद विस्तृत और अंतर्ग्रथित होते हैं। वस्तुतः, यहाँ इतने सारे चर शामिल होते हैं कि उन सभी कारकों को पहचानना असंभव होता है जो सक्रिय हों।

मुक्त बाज़ार का नैतिक दावा इस अंतर्संबद्ध आधार वाक्य पर आधारित होता है कि बाज़ार स्वातन्त्र्य, न्याय एवं दक्षता को अधिकतम करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन का यह कथन काफी प्रसिद्ध है कि किसी भी बाज़ार अर्थव्यवस्था में व्यक्ति अपनी वैयक्तिक आय एवं धन-संपत्ति के उभयांत चयन करने को स्वतंत्र होते हैं। बहरहाल, आय तथा निर्धनता के चरम स्तर इस दावे का उपहास करते हैं कि बाज़ार मानव स्वतंत्रता के प्रतीक हैं (उदाहरणार्थ, किसी गरीब आदमी को अपर्याप्त आय की तुच्छ आज़ादी ही तो होती है)। बाज़ार-निर्धारित आय के संरोधों का, बहरहाल, उसके दूसरे दावे द्वारा समर्थन किया जाता है, यथा– बाज़ार द्वारा प्रदत्त क्रयशक्ति आर्थिक रूप से न्यायसंगत होती है। उक्त दोनों आधार वाक्यों को जोड़कर एक तीसरा दावा यह सामने आता है कि बाज़ार मोटे तौर पर दक्ष होते हैं। माँग और आपूर्ति द्वारा तय कीमतें यह दर्शाती हैं कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं की कद्र करती है। निवेश का परिणामी नियतन इस अर्थ में दक्ष होता है कि बाज़ार शक्तियों द्वारा अधिदिष्ट कोई भी वैकल्पिक नियतन कुल उत्पादन घटाएगा ही। विनियमन, इसीलिए, परस्पर अनुकूल होता है और उपभोक्ताओं को बेहतर जानकारी प्रदान कर और अवसरवादी उत्पादनकर्ताओं की अधिक लाभ अर्जित करने हेतु संभावना को सीमित कर दक्षता बढ़ा सकता है।

3.5.2 परिबद्ध विवेकशीलता एवं अभिव्यक्त अधिमान

परिस्थितियों (अथवा परिवेश) के प्रति विवेकशील प्रत्युत्तर आमतौर पर निर्णयन को अभिलक्षित करते हैं, परंतु महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर, विवेकशीलता अर्थात् बुद्धि-संपन्नता विफल हो जाती है। परिणामतः, निर्णयन् परिवेश और निर्णयकर्ताओं के विकल्पों के बीच विसंगति दिखाई पड़ती है। इस विसंगति को 'परिबद्ध विवेकशीलता कहा जाता है (सायमन, 1996)। इस संकल्पना का एक महत्त्वपूर्ण निहितार्थ है। संरचित परिस्थितियों में, हम किसी भी निर्णय को दो घटक के रूप में देख सकते हैं, यथा– परिवेशी प्रोत्साहन तथा किसी निर्णयन प्रसंग में उसकी अनुकूलनशीलता विषयक अधिकतम सीमा। आदर्शतः, विवेकशील विकल्प पर आधारित कोई भी विश्लेषण यह निर्दिष्ट करने में सक्षम होना चाहिए कि परिवेशी प्रोत्साहन क्या हैं और वह उन प्रोत्साहनों पर आधारित निर्णय का ही पूर्वानुमान करें। बहरहाल, जो स्पष्ट नहीं किया जा सकता, वही

दृष्टिगत होने वाली यादृच्छिक त्रुटि होगी अथवा परिबद्ध विवेकशीलता। मानक सांख्यिकीय तकनीकें हमें किसी निर्णय के विवेकशील अनुकूलक अंश को विवेकशीलता की सीमा से पृथक रूप से दर्शाने में सहायक होती है।

व्यवहारात्मक संगठन सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, सर्वेक्षण अनुसंधान और प्रयोगात्मक अर्थशास्त्र से प्राप्त निष्कर्ष मानव व्यवहार के किसी व्याख्यात्मक प्रतिमान स्वरूप विवेकशील चयन की विफलताओं विषयक कोई भी संदेह नहीं रहने देते। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग व उनके चयन पूरी तरह अयुक्त होते हैं। परिबद्ध विवेकशीलता के अनुसार, निर्णयकर्ता अभिप्रेत विवेकशील जन होते हैं, यथा– वे लक्ष्योन्मुखी और अनुकूली होते हैं परंतु मानवीय संज्ञानात्मक एवं भावात्मक स्थापत्य शैली की वजह से, वे कभी-कभी महत्त्वपूर्ण निर्णयों में विफल रहते हैं। विवेकशील अनुकूलनशीलता पर सीमाएँ दो प्रकार की होती हैं – 'कार्यविधिक सीमाएँ', जो यह सीमाबद्ध करती हैं कि हम कहाँ तक निर्णय लेते हैं, ओर 'यथेष्ट सीमाएँ' जो विशिष्ट चयनों को सीधे प्रभावित करती हैं। विवेकशील विश्लेषण, सांस्थानिक संदर्भ में, अनुकूली, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार (यथा, विवेकशील कार्रवाई) हेतु एक मानक के रूप में काम कर सकता है। तब व्यवहार द्वारा, जो कि सीमाओं को संसाधित करने का ही एक परिणाम होगा, हम विचलन को माप सकेंगे। विचलन की विस्तृति, तद्नुसार, एक आनुभविक विषय बन जाता है। ये परस्पर अनन्य और सर्वसमावेशी होते हैं जो कि केवल उन दशाओं में जाँचे जा सकते हैं जब अभिकर्ता बारंबार एक से ही विकल्प चुनते हों।

अभिव्यक्त अधिमान सिद्धांत (प्रोफेसर पी.ए.सैम्युल्सन का योगदान) बुद्धिसम्पन्न उपभोक्ता को उसके अपरिवर्तनीय चयन के आधार पर परिभाषित करता है। यहाँ, किसी भी बुद्धिसम्पन्न व्यक्ति की 'प्रकटित अधिमान संगति' का मूल्यांकन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि वह अपने व्यवहार में किस सीमा तक संगति दर्शाता है, विशेषकर विभिन्न परिस्थितियों में अपने चयन प्रतिमानों में। क्षेमवाद की समालोचना दो शीर्षकों के अंतर्गत समेटी जा सकती है – एक, उपयोगिता संबंधी संकल्पना की कोई नैतिकतापूर्वक उचित व्याख्या तलाश करना आसान नहीं है; दूसरे, कोई भी क्षेमवादी दृष्टिकोण उन सभी सरोकारों का प्रग्रहण नहीं कर सकता जो न्याय निर्णयों हेतु प्रासंगिक हों। प्रथम समालोचना उपयोगिता की परंपरागत आर्थिक व्याख्या से व्युत्पन्न है। आर्थिक विश्लेषण अधिमानों का संबंध चयन से यह तर्क देते हुए जोड़ता है कि चयन उपयोगिता अधिकतमीकरण पर आधारित होता है और इस प्रकार अधिमान चयन व्यवहार द्वारा 'अभिव्यक्त' होते हैं। इस अवधारणा का समर्थन कि चयन उपयोगिता के अधिकतमीकरण को दर्शाते हैं, उपयोगिता की व्याख्या 'संगत अधिमानों के प्रतिनिधित्व' स्वरूप करके किया जाता है। अधिमानों का निर्देशक व्यवहार सामाजिक एवं ऐतिहासिक प्रभावों द्वारा गढ़ा जाता है। अतएव, वास्तविक निर्णय अधिमान के सिवा अन्य विचाराधाराओं से भी प्रभावित होते हैं (जैसे– सामाजिक दबाव एवं नैतिक मापदंड)। उपयोगिता और व्यवहार के बीच संबंध, व्यावहारिक आर्थिक कार्य हेतु अतिमहत्त्वपूर्ण होते हुए भी, न्याय संबंधी किसी क्षेमवादी संकल्पना को अंगीकार करने के लिए आवश्यक नहीं होता।

बोध प्रश्न 3 (दिये गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में दें।)

1) कराधान विषयक नीति में 'न्याय और निष्पक्षता' किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है?

.....

.....

.....

.....

2) 'हितलाभ का सिद्धांत' और 'देय-योग्यता का सिद्धांत' संबंधी संकल्पनाओं के बीच अंतर स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

3) 'व्यावहारिक लोक अर्थशास्त्र' की सीमाबद्धता से आप समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

4) 'बाज़ार परिणामों' पर निर्भरता किस लिहाज से परिस्थितियों से निबटने में सीमाकारी है?

.....

.....

.....

.....

.....

3.6 सार-संक्षेप

इस इकाई में अधिकतम सामाजिक क्षेम की उपलब्धि हेतु राज्य की भूमिका को परिभाषित किया गया। यह ज्ञात होने पर कि उच्चतम सामाजिक क्षेम का निहितार्थ अनिवार्यतः सामाजिक क्षेम नहीं होता है, राज्य की भूमिका को बॅकनन एवं कोम द्वारा दिए गए अनेक नियामक सिद्धांतों के माध्यम से पुनर्परिभाषित किया गया। 'समता' संबंधी संकल्पना का विश्लेषण रॉल्स एवं नॉज़िक द्वारा प्रतिपादित न्याय-सिद्धांतों द्वारा किया गया जबकि 'निष्पक्षता' का विश्लेषण 'क्षैतिज एवं अनुलंब समता' संबंधी संकल्पनाओं के अनुसार किया गया। उक्त सभी पहलुओं पर विचार करने के अलावा, इस इकाई में 'परिबद्ध विवेकशीलता' एवं 'अभिव्यक्त अधिमान' संबंधी संकल्पनाओं के साथ-साथ 'मानवीय सीमाबद्धता' एवं 'बाज़ार परिणामों' के लिहाज से 'व्यवहारात्मक लोक अर्थशास्त्र' के तत्वों से भी परिचय कराया गया।

3.7 शब्दावली

प्राथमिक वस्तुएँ : अधिकारों स्वाभाविक गुणों, आय एवं धन-संपत्ति के संदर्भ में रॉल्स द्वारा प्रयुक्त पदबंध।

मूल स्थिति : समाज में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या विपक्ष में बिना किसी पूर्वाग्रह के नीति-निर्माण की दशा के संदर्भ में रॉल्स द्वारा प्रयुक्त पदबंध।

परिबद्ध विवेकशीलता : निर्णयन् परिवेश और निर्णयकर्ताओं के चयनों के बीच बेमेलता।

प्रकरित अधिमान सिद्धांत : सैम्युल्सन द्वारा प्रतिपादित वह सिद्धांत जो बुद्धिसंपन्न उपभोक्ता को उसके अनुकूल चयनों के आधार पर परिभाषित करता है।

पुरोगामी कर दर : आय में वृद्धि के अनुपात से कहीं अधिक कर दर में वृद्धि।

3.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) John Rawls (1971). *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press.

2) R Nozic (1974). *Anarchy, State and Utopia*, New York: Basic Book Inc.

3) Richard A. Musgrave (1982). *The Theory of Public Finance* International Student Edition.

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) परिवहन जैसी कुछ सार्वजनिक वस्तुओं का मूल्य-निर्धारण औसत लागत पर किया जाना अपेक्षित होता है। इस कारण से, (AC – MC) के समान लागत साझाा करने हेतु सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है ताकि निजी फर्में उत्पादन करना लाभदायक पाएं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी विशेष गुण-वस्तुओं के मामले में, सामाजिक-आर्थिक कारणों से, अल्प-उपभोग हो सकता है। इनकी सकारात्मक बाह्यताओं के कारण, सरकारी हस्तक्षेप इसलिए आवश्यक होता है कि ऐसी विशेष गुण-वस्तुओं का लोग अधिकाधिक उपभोग करें।

2) अंतर्पीढ़ीय वित्तीय अंतरणों का कराधान, सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित शिक्षा-व्यवस्था तथा रोज़गार अवसरों के नियतन में भेदभाव का परिहार करने हेतु नियम तय करना।

3) पूर्ववर्ती का अर्थ शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास होता है। परवर्ती में, समाज में विषमता कम कराने हेतु विशिष्ट प्रयास शामिल होते हैं।

4) इसका अर्थ है – वैयक्तिक संविदाओं के समुच्चय तथा वे सिद्धांत जिनको लेकर वे समाज में प्रवेश पाती हैं। 'उदारवादी' शब्द में वे संविदाएँ भी शामिल होती हैं जो अनौपचारिक रूप से सामने आती हैं।

बोध प्रश्न 2

1) 'प्राथमिक वस्तुओं' को 'सार्वजनिक वस्तुओं' के समतुल्य मानकर, जिनका लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके लिए, रॉल्स 'अधिकारों, स्वाभाविक गुण, आय एवं धन-संपत्ति' के उदाहरण देते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएँ घटाने के लिए, वह संघर्ष किए जाने हेतु दो सिद्धांत सुझाते हैं, यथा– अवसरों की समानता का सिद्धांत तथा अंतर सिद्धांत। परवर्ती का अर्थ है कि जहाँ विषमताएँ हों, नियम इस प्रकार बनाए जाएँ कि वे समाज में अल्पतम लाभान्वित को लाभ पहुँचाएं।

2) सरकार द्वारा स्कूलों का निधिकरण, निजी संपत्ति अधिकार तथा समाज के निर्धनतम सदस्यों का क्षेम अधिकतम करने के लिए सरकार का वितरणात्मक निकष।

3) यह कि लोगों की वर्तमान निधियाँ सभी चरणों में यथावत् अपनाए गए अंतरण सिद्धांत के साथ न्यायपूर्वक अर्जित हों। उनका कहना है कि लोग अपनी विरासत में प्राप्त परिसम्पत्तियों के हकदार हो जाते हैं भले ही वे उनके पात्र हों या न हों।

बोध प्रश्न 3

1) अनुलंब समता का सिद्धांत अपनाकर, यथा– कर भार पर हितलाभ प्रतिगामी रूप से अथवा समानुपातिक रूप से अथवा पुरोगामी रूप से वितरित करके।

2) हितलाभ के सिद्धांत में यह अपेक्षित होता है कि कर भार करदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों के अनुसार निर्दिष्ट किया जाए। देय-योग्यता का सिद्धांत केवल आय को ही ध्यान में रखता है, कुछ और नहीं।

3) व्यावहारिक लोक अर्थशास्त्र सर्व-निर्देशक सिद्धांतों के रूप में 'चयनों' एवं 'क्षेम' संबंधी दोहरे पहलुओं पर विचार करता है। ऐसा करने में वह 'धन-संपत्ति के दुरुपयोग' अथवा 'अविवेकी व्यय' की स्थितियों से निबटने में विफल रहता है।

4) यह इस तथ्य से ग्रस्त रहता है कि बाज़ार दशाएँ दोहराई नहीं जा सकतीं। इससे विगत परिस्थितियों के आधार पर बाज़ार परिणामों का पूर्वानुमान करने में बाधा आती है।